

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 236] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 1975/भाद्र 6, 1897

No. 236] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 1975/BHADRA 6, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Posts and Telegraphs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August 1975

G.S.R. 468(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Indian Telegraph (Fourth Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the 1st day of September, 1975.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951, in rule 434, after Section III, the following Section shall be inserted, namely:—

"III-A. Deposits along with applications for connections under Own Your Telephone Scheme and under Special or General Categories:

- (1) (a) Every application for telephone connection shall be accompanied with an amount of deposit of a specified sum as shown in the Table below:—

TABLE
Own Your Telephone applications Capacity of Exchange system

	10,000 lines and above	1000 lines and above, but below 10,000 lines	Below 1000 lines
	Rs.	Rs.	Rs.
Amount of deposit	5,000	4,000	3,000

GENERAL AND SPECIAL CATEGORY APPLICATIONS

Type and capacity of Exchange systems

Metered Exchanges			Flat Rate Exchanges			
10,000 lines and above	Below 10,000 lines	Over 100 lines	Under 100 lines	Manual over 20 lines providing restricted hours of service	Manual of 20 lines or less providing restricted hours of service	
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
Amount of deposit	1,000	800	1,000	800	600	400

- (b) The deposit under sub-item (a) shall carry an interest for the period commencing on the date of deposit and ending with the date immediately preceding the date of sanction of the telephone, at the rate payable by the State Bank of India on fixed deposits made with such Bank for a period of one year and the interest shall be calculated for the completed number of months at the rate in force on the date of deposit.
- (c) On sanctioning of a telephone, the amount of deposit held with the application together with the interest accrued thereon, shall be adjusted as follows:—
- Own Your Telephone Applications. Towards the Own Your Telephone deposit and advance rental.
 - General or Special Category Applications. Towards security deposit and advance rental.
- (2) (a) In case of an application made before the 1st day of September, 1975, being the date of commencement of the Indian Telegraph (Fourth Amendment) Rules, 1975 and in respect of which telephone connection has not been provided, the applicant shall be required to pay to such authority, as may be specified in the notice issued by the Telegraph Authority, the relevant sum specified in the Table below sub-item (a) of item (1) within a period of three months from the date of issue of the notice.
- (b) If the applicant does not deposit with the authority the sum within the period specified in the notice referred to in sub-item (a), the application shall be cancelled and the application fee of ten rupees collected from such applicant at the time of making the application shall be refunded to him."

[No. 2-23/74-PHA.]

D. N. RAMCHANDANI,

Senior Member (Administration) &
Ex-Officio Additional Secretary
Government of India

संसार मंत्रालय

(डाक-तार)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1975

सांका०नि० 468(ई).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार नियम, 1951 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय तार (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1975 है।

(2) ये 1 सितम्बर, 1975 को प्रवृत्त होंगे।

3. भारतीय तार नियम, 1951 में, नियम 434 में, धारा 111 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

4 (iii) क. 'अपना टेलीफोन योजना' और 'विशेष या सामान्य' श्रेणियों के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन के साथ निक्षेप

(1) (क) टेलीफोन कनेक्शन के प्रत्येक आवेदनपत्र के साथ नीचे की सारणी में दर्शित रकम भी होगी :

सारणी

'अपना टेलीफोन योजना' के अंतर्गत आवेदन पत्र

एक्सचेंज व्यवस्था की क्षमता

10,000 लाइनें और उससे ऊपर	10,00 लाइनें और उससे ऊपर किन्तु 10,000 लाइनों से कम	1,000 लाइनों से कम
निक्षेप की रकम 5, 000 रु०	4,000 रु०	3,000 रु०

'सामान्य और विशेष' श्रेणी आवेदन-पत्र

एक्सचेंज प्रणाली की किस्म और क्षमता

मीटर वाले एक्सचेंज		एकसमान दर वाले एक्सचेंज			
10,000 लाइनें और उससे ऊपर	10,000 लाइनों से कम	100 लाइनों से ऊपर	100 लाइनों से कम	हस्तचल 20 लाइनों से ऊपर जिसके काम के घंटे सीमित हों	हस्तचल 20 लाइनें या उससे कम जिसके काम के घंटे सीमित हों
1,000 रु०	800 रु०	1000 रु०	800 रु०	600 रु०	400 रु०
निक्षेप की रकम					

(ख) उपमद (क) के अन्तर्गत निक्षेप पर, निक्षेप की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और टेलीफोन को मँजूरी की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उसके पास एक वर्ष की अवधि के लिए किए गए नियत निक्षेपों पर सँदेय दर से ब्याज देय होगा और निक्षेप की तारीख को प्रवृत्त दर से सम्पूर्ण मासों के लिए ब्याज की संगणना की जाएगी।

(ग) टेलीफोन मँजूर किए जाने पर, आवेदन-पत्र के साथ निक्षेप की गई रकम को, उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित, निम्नलिखित रूप में समायोजित किया जाएगा :—

(i) 'अपना टेलीफोन योजना' के अन्तर्गत 'अपना टेली फोन योजना' निक्षेप और आवेदन-पत्र अग्रिम किराये की बाबत

(ii) 'सामान्य या विशेष श्रेणी' के अन्तर्गत प्रतिभूति निक्षेप और अग्रिम किराये आवेदन पत्र की बाबत

(2) (क) पहली सितम्बर, 1975, जो भारतीय तार (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1975 के प्रारम्भ की तारीख है, से पहले दिए गए आवेदन की दशा में जिसकी बाबत टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिया गया है, आवेदक से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसे प्राधिकारी को, जिसे तार प्राधिकारी द्वारा जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, मद 1 की उप मद (क) के नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट सुसंगत राशि, सूचना के जारी होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर संवत्त करें।

(ख) यदि आवेदक उप मद (क) में निर्दिष्ट सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राधिकारी के पास राशि जमा नहीं करता है, तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और ऐसे आवेदक से आवेदन के साथ संग्रहीत की गई 10 रुपये की रकम उसे वापस कर दी जाएगी।

[सं० 22-3/74—पी० एच० ए०]

डी० एन० रामचन्दानी,

ज्येष्ठ सदस्य (प्रशासन) तथा पदेन
अपर सचिव।